भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

(100)

समक्ष-श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (कैम्प भोपाल) म0प्र0।

निग/2714/पी बी आर/15 प्र0क्र0- /2015

घासीराम आत्मज हरिप्रसाद,
आयु वयस्क, निवासी एवं कृषक-
ग्राम कटारा तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म0प्र0) - - - - - - - - - - - - - - - रिवीजनकर्ता,

विरुद्ध

मेसर्स सर्वकृपा इन्टरप्राइजेस
द्वारा- विशन असनानी,
आत्मज एच.असनानी, आयु वयस्क,
कार्यालय/पता- एफ.एम.-01 मानसरोवर काम्पलेक्स,
भोपाल (म0प्र0) - - - - - - - - - - - - - - - - -उत्तरदाता

रेखा ठाकुर क्र. 1659 सा.ले. /2014 शपथ आयुक्त, भोपाल

श्री एस. के. साहू अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 28-7-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 28-7-15

रिवीजन (पुनरीक्षण) अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-

श्रीमान तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक महोदय, तहसील हुजूर जिला भोपाल के न्यायालय में मामला क्रमांक 25/अ-12/ 2014-2015, सीमांकन आवेदन मेसर्स सर्वकृपा इन्टरप्राइजेस द्वारा विशन असनानी आ0 एच0 असनानी मानसरोवर काम्पलेक्स भोपाल द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन (आवेदन में दिनांक अंकित नहीं है) दिया गया था । जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया - सीमांकन दिनांक 12/12/2014, सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा दिनांक 12/12/014 से व्यथित होकर यह रिवीजन (पुनरीक्षण) श्रीमान राजस्व मण्डल के समक्ष निम्न- लिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

घासीराम

// प्रकरण के तथ्य //

1/ यह कि रिवीजनकर्ता के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम कटारा तहसील हुजूर जिला भोपाल के खसरा क्रमांक- 219/2 रकबा 1.120 हेक्टयर, खसरा क्रमांक 220 रकबा 0.880 हेक्टयर कुल रकबा 2.00 हेक्टयर (प0ह0नं0 25) है । जिस पर रिवीजनकर्ता काबिज काश्त है। उक्त भूमि के पडोस में उत्तरदाता की भूमि स्थित है।

2/ यह कि उत्तरदाता द्वारा सीमांकन आवेदन (आवेदन में दिनांक अंकित नहीं है) श्रीमान तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल के न्यायालय के समक्ष खसरा क्रमांक- 219/1 रकबा 1.99 हेक्टयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । एवं उक्त आवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2714-PBR/15 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	